

फॉर्म एल-32-शोधक सीमांत - केटी 3

(विनियमन 4 देखें)

बीमा विनियमन एवं (बीमांकन रिपोर्ट तथा सार) विनियमन, 2000.

उपलब्ध शोधक सीमांत तथा शोधक अनुपात

30 जून, 2016

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम	पंजीयन संख्या: 512	फॉर्म कोड: 015
वर्गीकरण: भारत में व्यवसाय	वर्गीकरण कोड: 1	

मद	विवरण	समायोजित मान [रकम (₹ लाख में)]	
		30.06.2016	30.06.2016
01	पॉलिसीधारक फंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	21,41,78,362	19,06,60,753
	घटाव:		
02	गणितीय संचिति	20,18,38,130	18,03,66,341
03	अन्य देयतायें	8,15,164	12,47,821
04	पॉलिसीधारक फंड में अधिकता	1,15,25,067	90,46,592
05	शेयरधारक फंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	10,000	10,000
	घटाव:		
06	शेयरधारक फंड की अन्य देयतायें	0	0
07	शेयरधारक फंड में अधिकता	10,000	10,000
08	कुल उ.शो.सी. (04)+(07)	1,15,35,067	90,56,592
09	कुल अ.शो.सी.	66,56,088	59,65,654
10	शोधक अनुपात (उ.शो.सी/अ.शो.सी.)	1.73	1.52

प्रमाणीकरण:

में, नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 64V के अनुसार तैयार किया गया है, तथा इनमें उल्लेखित रकम, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: _____
दिनांक: _____

नियुक्त बीमांकक का नाम तथा हस्ताक्षर

नोट:

1. मद सं. 01 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं का शोधक सीमांत) विनियमन, 2000 के अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-ए में उल्लेखित परिसंपत्तियों का समायोजित मान का रकम होगा।
2. मद सं. 02 में फॉर्म - एच में उल्लेखित गणितीय संचिति की रकम होगी।
3. मद सं. 03 तथा 06 में तुलन पत्र में उल्लेखित अन्य देयताएं की रकम होगी।
4. मद सं. 05 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं का शोधक सीमांत) विनियमन, 2000 के अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-ए में उल्लेखित कुल परिसंपत्तियों की रकम होगी।